


16/11/23 पन्नावली पैरा हुई। वादी एवं वादीवकील
उपस्थित। वादी वकील के विवेक पर मूल काद No
P2088 रिफा जाया है अतः प्राथीना-फर 212 का कोई
ऑब्जेक्शन नहीं है न्यायालय के आदेश क्रमांक
20/11/6/2019 से भी No P2088 रिफा जाया है
पन्नावली नम्बर से सम ही बाद पूर्ण मूल काद
के साथ संलग्न है।


सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (अनवर) राज.